



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24546-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - **3696/2025**

अजय राय एवं 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 12 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राहुल सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई., आकांक्षा शर्मा (स्थायी अधिवक्ता), बिजेंद्र कुमार सिंह, महेंद्र प्रताप

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेन्द्र, न्यायमूर्ति

1. यह याचिका, जो कथित तौर पर जनहित में है, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रत्यर्थियों को उन संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांच शुरू करने का निर्देश देने की मांग के साथ दायर की गई है, जो ग्राम माई खरगपुर, जिला आजमगढ़ में स्थित भूमि अराजी संख्या 943 के प्रत्यर्थी संख्या 8 से 13 को अतिरिक्त भुगतान करने में शामिल हैं, और प्रत्यर्थी संख्या 8 से 13 को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली करने की मांग की गई है।
2. याचिका के अवलोकन से संकेत मिलता है कि याचिका में कहीं भी याचिकाकर्ताओं ने अपनी साख का खुलासा नहीं किया है, जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय XXII नियम 1(3A) के प्रावधानों के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'उत्तराखंड राज्य बनाम बलवंत सिंह चौपाल एवं अन्य : 2010 एआईआर एससीडब्ल्यू 1029' के मामले में प्रतिपादित विधि के तहत आवश्यक है।
3. उपरोक्त के अलावा, पूरी याचिका इस दावे से भरी हुई है कि राशि का गलत भुगतान प्रत्यर्थी संख्या 8 से 13 को किया गया था और 'अराजी संख्या 943 के किसी अन्य सह-हिस्सेदार को नहीं', यह दावा पैराग्राफ संख्या 4, 6, 11, 14 और याचिका के समर्थन में उठाए गए कई आधारों में किया गया है। याचिकाकर्ताओं की अंतर्निहित शिकायत यह प्रतीत होती है कि प्रत्यर्थी संख्या 8 से 13 ने मुआवजा प्राप्त कर लिया है जबकि सह-हिस्सेदारों को इससे वंचित कर दिया गया है।
4. किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, जो परिणाम में रुचि रखता है, कथित तौर पर जनहित में याचिका दाखिल करना स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है।
5. हमें वर्तमान याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिलता है, अतः इसे खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

फरवरी 4, 2026

ज्योत्सना/मुकेश पाल

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"